राजस्थान गरकार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग क्रमांक : 1. 3 (28) न.वि.वि.13/96

289)

जयपुर, दिनांक : दिसम्पर 22, 1999

परिपत्र

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोगनार्थ उपयोग थे नियमन के सम्यन्ध में राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 एवं राज्य करकार के आएंग क्रमांक प. 5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.7.1999 एवं 4.12.1999 को अनुपालना में कृषि भूनि के आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के नियमन आवंटन की कार्यवाही की जानी हैं। जयपुर झहर में यह कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। राज्य के शेप 182 शहरों के लिए नियमन की दरें व अपगई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित को जाती है।

राज्य के जिन 🤊 शहरों में नजर सुधार त्याम कार्यरत है, उनमें सम्पूर्ण नगरीय योग्य मीमा में राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम, 1999 को धारा 90-वी के तहत् नियमन सन्यन्धी समग्न कार्यवाही सम्बन्धित नगर•सुधार न्यस द्वारा की जावेगी। अन्य शहरों में नियमन सम्बन्धी जमस्त कार्यवाही सन्वन्धित नगर परिषद्/नगर पालिका द्वारा की जावेगी।

ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर भूमि पुर्तग्रहित किये जाने वायत् राजस्थान भू-राजस्व/अर्द्धनियम की धारा 90-वी के तहत् कार्यवाही की जानी है। इस हेतु राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक प. 6 (१९) राज-६/१९१/२५ दिनांक १९.७.१९१९ द्वारा राज्य के समस्त नगर विकास न्यास/नगर परिषद में कार्यरत समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं सन्दन्धित उप खण्ड अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त की जा चुकी है। ऐसे प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में कृपि भूमि के आवासीय एवं वार्णिज्यक प्रयोजनार्थ उपयोग के नियमन का कार्य सम्पादित किया जावेगा। नियमन के कार्य हेतु निम्न कार्यवाही की जावेगी।

() C

नियमन हेत रिकॉई प्राप्त करना :-प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा राज्य भरकार के आदेश दिनांक 1. 10.7.1999 के निर्देशानुसार कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने सम्वन्धी खातेंदार अधवा गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासाय योजनाओं को मानचित्र एवं क्रय दस्तावेज सम्यन्धी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञग्ति प्रकाशित की जाकर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक प्राप्त की जावेगी। इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों/सूचनाओं कों रजिस्टर में संधारित किया बाएगा तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की रसीद प्रार्थी को दी जावेगी। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा रक्त कार्यवाही 15.1.2000 तक पूर्ण कर ला जावे।

(325)

()

0

0

0

0

0

0

 \mathbf{O}

0

 \bigcirc

 \bigcirc

 Θ

 \bigcirc

0

 Θ

()

 \bigcirc

 \bigcirc

0

0

 \bigcirc

0

0

0

 Θ

 \bigcirc

0

0

0

0

 \bigcirc

0

0

0

 \bigcirc

0

प्रार्थना पत्र/सूचना प्राप्त होने के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही⁶ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यवाही निम्न दो प्रकार से की जानेगी।

2.

4.

 सहकारी समिति अथवा खातेदार द्वारा योजना की भूमि का स्वयं समर्पण किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी स्वयं भूमि को राज्य यस्कार में पुर्नगहित करने का आदेश प्रति करेंगे।

- 2. जिन सहकारी समितियों द्वारा भूमि इकरारनाने अथवा विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है अथवा स्वयं खातेदार द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है और समर्पणनामा प्रस्तुत नहीं किया है, उन मामलों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 'यो' का नोटिस जारी किया जाकर समिति/खातेदार के खातेदारी आधवारों का पर्यावसन कर राज्य सरकार में पुर्नग्रहित करने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 31.1.2000 तक पूर्ण कर ली जावे।
- 3. नियमन की कार्यबाही :-प्राणिकृत अधिकारी द्वारा समिति/खातेदार के खातेदारी अधिकारों के पर्यावसन के फलस्वरूप पुर्नग्रहित की गई भूमि स्वतः सम्यन्धित स्थानीय निकाय में निहित हो जावेगी। तत्पश्चात् प्राणिकृत अधिकारों द्वारा ऐसी भूमि के निर्मन के सम्यन्ध में प्राप्त खातेदार/समिति के योजना मानचित्र के अनुमोदन सम्यन्धी कार्यवर्टी पूर्ण करवाई जावेगी। इसके उपरग्त अनुमोदित योजना मानचित्र के आधार पर भूखण्डों के नियनन की कार्यवाही जावेगी। कार्यसन के भूखण्डों के नियमन का आधार पर भूखण्डों के नियनन की कार्यवाही की जावेगी। योजना के भूखण्डों के नियमन का आधार पर भूखण्डों के नियनन की कार्यवाही कार्यवाही की जावेगी। कार्यसाय के अनुमोदन साम्यन्धी कार्यवर्टी पूर्ण करवाई जावेगी। इसके उपरग्त अनुमोदित योजना मानचित्र के आधार पर भूखण्डों के नियनन की कार्यवाही की जावेगी। कार्यसाय के भूखण्डों के नियमन का आधार इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.7.99 में वर्णित दरसायेज/प्रमाण होंगे।

दिनांक 17.6.99 के पूर्व के गैर-कृषि उपक्षेंग का निवलन एवं 17.6.99 के याद किये गये गैर-कृषि उपयोग का नियमन एवं खातेदार द्वारा समर्पण करने पर कृषि भूमि के आवंटन की कार्यवाही भी इसी प्रक्रिया से सम्पादित होगो।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जाकर नियमन शिविरों का आयोजन दिनले 1.2.2000 से प्रारंभ कर दिया जावे। उक्त नियमन शिविरों का कार्यक्रम तय कर उसकी स प्रतिलिपि इस विभाग को सूचनार्थ प्रेपित की जावे।

नियमन जोन एवं दरों का निर्धारण :-कृपि भूमि के आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोज उपयोग के नियमन हेतु दरों का भू-राजस्व अधिनियम (शहरी क्षेत्रों में कृपि नूनि के आवण एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन, रूपांतरण एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के निय (4) के तहत् विहित अनुसूची 2 में विभिन्न शहरों के जो जोन्स निर्धारित विचे गये जोन्स वर्तमान में प्रभावी जखते हुए संभागवार एवं क्षेत्रवार निम्नानुसार द

POLAR FILLE MAR

326

Ţ	
A	
Q.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	निर्धारण किया जाता है :-
	(1) प्रथम झेएगी (जयपुर के अलावा)
	আন্য- ১
	ন্টান -2
	जोन-३
	जोन-4
	जोन-उ
	(2) द्वितीच श्रेणी :-
	(2) जिस-1
	जोन-2
	जान-3
2	জান-১ জান-4
2	
	(3 तृतीय श्रेणी :-
	जोन-1
	कान-2
	ज्यान - 3
	(4) चतुर्थ श्रेणी :-
5	जोन-1
	- जोन-2
	(5) पंचम श्रेणी :-
5	(5) पंचम श्रणाः- जोन-1
	े जास्य
	नोट:- जिन नगरपालिको क्षेत्रा म गारदर सीमा (Urbanisahle Limits)
	वसूली योग्य होगी।
	यदि निर्धारित केम्स तिथियों तक नि
	यदि निधारित कम्स सामयना साम प्रतिशत की छूट देए होगी। राशि उ
	का नोटिस दिया जाकर उनके खिला
	(2.3)

रु. 40 ज़ित व.ग. रु. 30 प्रति व.ग. रु. 40 प्रति व.ग. रु. 30 प्रति व.ग.

रु. 30 प्रति व.ग.

नगरपालिका क्षेत्रों में मास्टर प्लान लागू है, वहां का अंतिम जोन स्वतः नगरीय योग्य (Urbanisahle Limits) तक बढ़ा हुआ माना जाकर तदनुसार हा नियमन राशि

:-

रु. 80 प्रति व.ग. रु. ७० प्रति व.ग. रु. 60 व.ग.

रु. 50 प्रति व.ग.

रु. 45 प्रति व.ग.

रु. 60 प्रति व.ग. रु. 50 प्रति व.ग.

रु. 40 प्रति व.ग.

रु. 30 प्रति व.ग.

रु. 45 प्रति व.ग.

यदि निर्धारित कैम्स तिथियों तक नियमन राशि जमा करवाई जाती है तो कुल राशि पर 5 प्रतिशत की छूट देंग होगी। राशि जमा नहीं करवाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को 10 दिवस का नोटिस दिया जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। यह दिशा-निर्देश पूर्व में तय

0

0

0

0

Ο

0

 \bigcirc

 \bigcirc

0

0

 \mathbf{O}

 \bigcirc

 \bigcirc

Θ

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

0

0

 \bigcirc

0

0

0

 \bigcirc

0

0

 \bigcirc

नीति व जयपुर विकास प्राधिकरण के सम्यन्ध में आने वाली लिभिन्न समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में गठित इम्पावर्ड कमेटी व माननीय नगरीय विकास मंत्री महोत्य द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप हैं।

38

5.

जित भूखण्डधारियों ने पूर्य में प्रचलित आदेशों के तहत् तत्समय देने सम्पूर्ण रूपांतरण सुरक्त, विकास शुल्क, परिधीय शुल्क आदि राशि जमा करवा दी थी, उनसे नई दरों से शशि नहीं ली जावेगी और आवंटन पत्र जारी कर दिया जावेगा। परन्तु जिन्होंने विकास शुल्क एवं परिधीय शुल्क सहित तत्मसय देय सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई, ऐसे भूखण्डधारियों द्वारा पूर्व में जमा कराई गई राशि उक्त दरों के आधार पर बसूल योग्य कुल राशि में समायोजित कर शेप राशि ली जायेगी! इसके लिए पूर्व में जमा कराई गई राशि का मूल चालान प्रस्तुत करना होगा। जिन प्रकरणों में सहकारी समितियों द्वारा पूरी समिति का एकमुश्त रूपा तरण शुल्क जमा करवाया गया हो, उन मामलों में मूल चालान की सत्यापित प्रति मान्य होगो। इसके लिए यथासम्भव उस राशि के जमा का सत्यापन स्थानीय निकाय के रिकॉर्ड से भी किया जा सकता है। विक्रय इकरार अथवा अपंजीकृत दस्तावेज से खरीदी गई भूमि पर कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं होगा।

इस नियमन अभियान के अन्तर्गत नियमन/आवंटन पर लीज डीड लेने एवं 10 वर्ष को एक मुझ्त लीजमनी जमा करवाने पर लीज राशि आवासीय मामलों में एवं वाणिज्यिक मानलों में क्रमश: नियमन राशि को 2.5 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ही अदा करने का प्रावधान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (2) न.दि.वि./3/99 दिर्गाक 15.11.99** द्वारा किया गया है। नियमन राशि पर 2.5 या 5 प्रतिशत लीज उन्हीं मामलों में देव टोगी जव 10 वर्ष का एकमुश्त लीज राशि जमा करवाई जायेगी अन्यथा यह लीज राशि आरक्षित दर की 2.5 या 5 प्रतिशत की दर से देव होगी।

योजना क्षेत्र में आने वाली अवाप्तशुदा एवं राजकीय भूमि बावत् :-यदि किसी योजना में संबंधित स्थानीय निकाय की एवं राजस्थान आवासन मण्डल की ऐसी अवाप्तशुदा भूमि जिसका मुआवजा वास्तविक रूप से खातेदार को भुगतान किया जा चुका हो अथवा रेफरेंग्य के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी अथवा सिविल न्यायालय में जमा करवाया जा चुका हो ऐसी भूमि का राजकीय भूमि की श्रेणी में माना जावेगा। अत: उक्त अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य राजकीय

राशि गणना की दृष्टि से तत्समय प्रचलित आदेश क्रमांक राजस्व/भू.रु./90 दिनांक 4.3.92, 5 (21) न.वि.आ./ ३६ दिनांक 6.3.92, 2 (8) राज./भू.रु./90 दिनांक 18.2.94, 2 (8) राज./भू.रु./90 दिनांक 24.3.94 ब 23.4.97 की प्रतियां संलग्न है।

आदेश क्रमांक 5 (2) न.वि.आ./3/98 दिनांक 15.11.99 की प्रति संलग्न है।

भूमि (यथ सिवायचक, चारागाह एवं गैर मुमकिन रास्ते आदि) के नियमन के क्षेत्रफल के लिए संबंधित जोन कों. आवासीय नियमन दर की तोन गुणा* राशि देय होगों। परन्तु अन्य अवार्डशुदा एवं अन्य रज्वस्थान आवासन मण्डल एवं स्थानीय निकाय की अवाप्ताधीन भूमि का नियमन राजस्थान ज्वाकासन मण्डल एवं संयंधित स्थानीय निकाय की सहमति पर विन्दु संख्या 4) की दरों फर हो होगा।

किसी समिति के माना किन्न क्षेत्र में साम्मिलित राजकीय भूमि, अवाप्तशुदा (मुआवजा भुगतान को गई) भूमि अथव्या खातेदार से हुए इकरारतामे के खसरा तम्वरों के क्षेत्रफल की भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए इस भूमि की उक्तानुसार देय कीमत एवं इकरारनामों के क्षेत्रफल की सामान्य नियमन दर की सांश के योग को विक्रय योग्य क्षेत्र से गुणा कर कुल योजना का भाग की प्रति वर्गगज नियमन दर की गणना की जावेगी।

परन्तु राजकाय भूमि पर किये गये अनाधिकृत पुराने आवासीय निर्माणों के नियमन के मामले में प्रकरण विशेष की परिस्थितियों तथा गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला कलेक्टर को अनुराषा पर अथवा स्वतः ही उपरोक्त नियमन दरों में रियायत देने हेतु राज्य सरकार सक्षम होन्ही :

6. नियमन/आवंटन को कार्यवाही के संवंध में ध्यान रखने योग्य बिन्दुं :-

TADALAND COMPANYANA MARANA

- अ. प्राधिकृत अधिकाती द्वारा निम्न मामली में ना तो भू-राजस्व अधिनिथम की भारा 90 (बी) के तहत कार्यवाही की जल्वेनी और न ही नियान/आवंटन की कार्यवाही ही को जावेगी :-
 - ऐसी भूमि जो मंदिर मार्फ, देवस्थान विभोग या सार्वजनिक ट्रस्ट या किसी धार्मिक एवं चैरिटेवली संस्थान अथक वक्क की है।
 - राजस्थान भूम्दि सुधार एवं भू-स्वामी की संपदा अर्जन अधिनियम 1963 (1964 फा अधिनियम 11)
 - राजरथान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 11)
 - जो भूमि रेल्वे वाउण्ड्री, राप्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग की निर्धारित सीमा एवं नदी, नाले अथवा अन्य के बहाव अथवा डूव क्षेत्र में आती हो।
 - 5. जो भूमि राजस्थान आवासन मण्डल, रा.रा.औ.वि.वि. निगम की अवाप्तशुदा है अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, डाक तार विभाग या केन्द्र सरकार के अन्य किसी विभाग/उपक्रम की खातेदारी में दर्ज हो।
 - राजकोय भूमि व अव्यक्रैसशुदा भूमि के मामरो में परिपत्र क्रमांक 5 (8) न.वि.आ./3/99 दिनांक 26.5.2000 के अनुसार विलोग्दित। अब नियमन दर उस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत ली जावेगी।

329

15.1

()

 Θ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 \bigcirc

 \bigcirc

0

()

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

0

()

 \bigcirc

 \mathbf{O}

0

0

0

(friend)

6. स्थानीय निकाय को एसी अवाप्तशुदा भूमि जिसका नुआवजा भुगतान किया जाकर कब्जा लिया जा चुका है तथा वर्तमान में भी स्थानीय निकाय का माँके पर कब्जा है और भूमि रिक्त है।

40.

q.

7.

ऐसी खातेदारों को भूमि, जिसम किसा खसरा नम्बर का क्षेत्रफल अहाता कुँआ, नाला, गैर मुमकिन आवादी, अहाता बाग या गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, तो ऐसे मामलों में खातेदारी अधिकारों का पर्यावसन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी परन्तु नियनन के लिए केवल गैर मुमकिन आवादी क्षेत्रफल के लिए ही निर्धारित नियमन सुल्फ देय नहीं होगा। भ्रोप समस्त क्षेत्रफल के लिए

कृषि भूमि का <u>वाणिज्यिक नियमन</u> :-सहकारी समिति की योजनाओं के आवासीय भूखण्डों में निर्मित/प्रस्तावित दुकानों, शोरूमों आदि के नियमन के वारे में भी नीति व दरों का निर्धारण* शीघ्र किया जाकर पृथक से सूचित किया जा रहा है। परन्तु निर्मित दुकानों, शोरूमों के माभलो में उसका लाभ उठाने के लिये यह आवश्यक होगा कि संयंधित भू,उप्र का कृषि से आवासीव प्रयोजनार्थ नियमितिकरण करवा लिया गया हो या इस हेतु नियमन र श जमा दरवा दी गई

S. राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियन, 1999 के तरत मंश्लोभित भू-राजरव अधिनियम की धारा 90-यो जिन नगर परिपदों एवं नगर पालिकाओं में नास्टर प्रतान लागू है, वहां नगरीय योग्य सीमा** (Urbanisable Limit) में लागू होंगे तथा शेष नगर परिपदों एवं नगर पालिकाओं में केवल नगरीय क्षेत्र में (Urban Area) लागू होंगे।

9. राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण अ..... रवं नियमितिकरण) नियम, 1981 जिन नगर निगमों, नगर परिपदों एवं नगर पालिकाओं में मास्टर प्लान लागू हैं, वहां मास्टर प्लान को नगरीय योग्य सीमा (Urbanisable Limit) क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में लागू रहेंगे तथा जिन नगर परिपदों एवं नगर पालिकाओं का मास्टर प्लान लागू नहीं है, वहां नगर परिपद, नगरपालिका सीमा के बाहर (Urbanisable Limit) परिधीय क्षेत्र (Perlphery Area) में नियम, 1981 के प्रावधान लागू होंगे।

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 - वी के तहत स्थानीय निकाय में निहित भूमि की आवासीय/
परिपत्र क्रमांक 5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.5.2000 के द्वारा देरों का निर्धारण कर दिया गया है।
परिपत्र क्रमांक 5 (8) न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.5.99 के जिन्दु संख्या 9 के द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग की सहमति से नये निर्देश जारी किए गए।

3:30

वार्णिण्यक योजना (समिति अववा खातेदार) के मानचित्र के अनुमोदन हेतु राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप विभाजन, संगठन एवं सुधए) नियम 1975 के प्रावधान लागू होंगे।

- 11. राज थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90/वी के प्रावधान कृषि भूषि के आदातीय एवं वाणिज्यिक प्रयोज नर्थ उपयोग के समस्त पुराने मामलों के नियमन के साध-साथ नये प्रकरणों में भी लागू होंगे। किन्तु जिन प्रकरणों में 1981 के नियमों के तहत समस्त नियमन शुल्क (सभी प्रभारों सहित) जमा करवा दिया हो, उन मामलों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-वी के तहत कोई शुल्क देव नहीं होगा।
- 12. कृषि भूमि के आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त नियमन शुल्क की राशि राज्य तारकार एवं स्थानीय निकाय के मध्य विभाजित करने वावत वाद में तय किया जावेगा। अतः नियनम मद में प्राप्त नियमन शुल्क की सम्पूर्ण राशि वैंकों में न रखी जाकर स्थानीय निकाय के व्याजधारी निजी निक्षेप खाते में जमा रखी जावेगी और यह राशि अग्रिम आदेशों तक निकाली (Withdraw) नहीं जावेगी।
- 13. कृपि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग के नियमन सम्यन्धी कार्य में दिन प्रतिदिन आने वाली बाधाओं के निराकरण हेनु निम्नांकित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाती है :-

1.	राासन सचिव, नगरीय विकास	अभ्यक्ष
2.	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
3.	विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (राजस्व)	सदस्य

ብ 👘

00

इस समिति द्वारा दिन-प्रतिदिन नियमन कार्य में आने वाली प्रत्येक प्रकार की वाधाओं का निराकरण तत्काले किया जावेगा तथा लिये गये निर्णयों व नियमन प्रस्तावों का उचित स्तर से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

सही/-

(जी.एस. संधू) शासन सचिव